UPBG010042342026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.

जे.ओ.कोड सं. यू.पी. 1909

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1415/2026

1. जाहिद उर्फ लालू प्रधान पुत्र ताहिर अली, निवासी ग्राम निवाडा, थाना व जनपद बागपत। ...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य। ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–383/2026
धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) B.N.S.,
थाना–बागपत,
जिला बागपत।

1. केस का विवरण

एफ.आई.आर. संख्या एवं दिनांक	383/2026 , 16.06.2026
पुलिस थाना, जिला एवं प्रदेश	बागपत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश
अधिकतम दंड	सात वर्ष

2. हिरासत एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन

हिरासत में लेने का दिनांक	20.06.2026
अभिरक्षा की अवधि	लगभग 1 माह

3. विचारण की स्थिति

कार्यवाही का स्तर	विवेचना लम्बित
आरोपपत्र में साक्षीगण की संख्या	लागू नहीं
अभियोजन साक्षीगण की संख्या जो परिक्षित हुए	लागू नहीं

4. आपराधिक इतिहास

एफ.आई.आर. संख्या एवं पुलिस थाना	कोई नहीं
धारा	
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	

5. प्रपीडक कार्यवाही

क्या गैर जमानती वारंट जारी हुआ	नहीं
क्या घोषित अपराधी है	नहीं

दिनांकः–20–08–2026

प्रार्थी/अभियुक्त जाहिद उर्फ लालू प्रधान की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.08.21 11:32:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ जल्फीकार पुत्र ताहिर का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि **अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।** अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। वह गॉव का एक सामाजिक एवं सम्मानित व्यक्ति है, जिसे पार्टीबाजी के आधार पर फंयाया गया है। वह एक मजदूर किस्म का कम पढा लिखा व्यक्ति है, जो रोडी, डस्ट, बदरपुर को विक्रय करने का कार्य करता है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई वस्तु नाजायज, रॉयल्टी या उससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज इत्यादि की बरामदगी नहीं है और न ही उसे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है। उसको सह–अभियुक्तों के बयान के आधार पर झूँठा संलिप्त किया गया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी निरीक्षक रविन्द्र कुमार, प्रभारी एस.टी.एफ. फिल्ड यूनिट, मेरठ द्वारा दिनांक 16.06.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित किरायी कि अपर पुलिस महानिदेशक, एस० टी० एफ० उ०प्र० लखनऊ द्वारा एस०टी०एफ० टीमों को अवैध रूप से खनन की रयलटी (आईएसटीपी) में परिवर्तन कर कूटरचित तरीके से फर्जी रयलटी (आईएसटीपी) तैयार कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुँचाने वाले गिरोह के सरगना व उनके सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ द्वारा श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, मेरठ यूनिट के नेतृत्व में टीमें गठित कर अवैध रूप से खनन की रयलटी (आईएसटीपी) में परिवर्तन कर कूटरचित तरीके से फर्जी रयलटी (आईएसटीपी) तैयार करने वाले गिरोह के सरगना व उसके सदस्यों की गिरफतारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 15.06.2026 को वादी निरीक्षक रविन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार, हैड का० आकाशदीप, हैड का० प्रताप सिंह, हैड का0/चालक भूपेन्द्र सिंह मय सरकारी गाडी यूपी–32 बीजी– 4553 स्कार्पियों व उपनिरीक्षक श्री अरूण कुमार निगम, हैड का० महेश शर्मा, हैड का० लोकेश भाटी, हैड का० रोमिश, हैड का0/चालक अंकित श्यौरान मय सरकारी गाडी यूपी–32 ईजी–0383 से मय सरकारी अस्लाह, लेपटॉप मय सहवर्ती उपकरण मय दीगर सामान सहित एस०टी०एफ० कार्यालय पुलिस लाईन मेरठ से अवैध रूप से खनन की रयलटी (आईएसटीपी) में परिवर्तन कर कूटरचित तरीके से फर्जी रयलटी तैयार करने वाले गिरोह की तलाश में जनपद बागपत क्षेत्र में मामूर थे कि जब हम गौरीपुर मोड पहुँचे तो वहां पर उपनिरीक्षक श्री सत्यम जंघाला, हैड का0 821 सोनू, हैड का0 650 योगेन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत चैकिंग करते हुए मिले। हम लोग अपना परिचय ले–देकर अपराधियों के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे कि तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि कुछ लोगों का गिरोह खनन की रयलटी में परिवर्तन कर फर्जी रयलटी तैयार कर राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि पहुँचा रहे हैं जिसके कुछ सदस्य आज इण्डियन नर्सिंग होम ग्राम निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत पर मौजूद है, यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना से मेरे द्वारा तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तथा राहजनों को गवाहीं हेतु कहा गया तो भलाई–बुराई का वास्ता देकर बिना नाम पता बताये चले गये। मजबूरन हम पुलिस वालों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले–देकर विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है और मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान इण्डियन नर्सिंग होम ग्राम निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत पर पहुँचे तो नर्सिंग होम का मेनगेट शटर बन्द है तथा नर्सिंग होम की दाहिनी तरफ वाली गली में एक गेट खुला हुआ है, जिससे हम पुलिसजन ने इण्डियन नर्सिंग होम के अन्दर प्रवेश किया तो गैलरी में बाई तरफ करीब 10 कदम चलने पर दाहिनी तरफ बने केबिन से

कुछ लोगों की आपस में बात करने की आवाज आने पर हम पुलिस वालों ने केबिन का दरवाजा खोलकर देखा तो केबिन के अन्दर चार व्यक्ति मौजूद है, जिसमें से एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और मेज पर रखे लेपटॉप पर कुछ काम कर रहा है तथा एक व्यक्ति उसके बराबर में कुर्सी पर बैठकर कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करा रहा है तथा अन्य दो लोग मेज के सामने रखी बैंच पर बैठे है। केबिन में हम पुलिस वालों को देखकर यह लोग एक दम सकपका गये और खडे हो गये। हम लोगों ने इनको मकसद बताकर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो लेपटॉप पर काम कर रहे पहले व्यक्ति ने अपना नाम नईम पुत्र इंतजार अली नि० ग्राम–निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत उम्र 27 बताया। जामा तलाशी इनके पास से 02 मोबाईल फोन, जिनमें से पहला मोबाईल फोन आई–फोन–17, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 358816653012143 पाई गई, जिसमें जीओ कम्पनी का नम्बर 9058023182 सिम लगा है। दूसरा मोबाईल फोन गूगल पिक्शल 9 प्रो, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 351311336522764, 351311336522772 पाई गई, जिसमें एयरटेल का नम्बर 8532889460 का सिम लगा है तथा इसके पास से 520 रूपये बरामद हुये। नईम के पास कुर्सी पर बैठे दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम तालिब पुत्र फारूख नि० निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत उम्र–30 वर्ष बताया। जामा तलाशी से इसके कब्जे से दो मोबाईल फोन बरामद हुये, जिसमें पहला मोबाईल फोन वीवो–वी–23 मिला, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 866741051609115, 86674105 1609107 पाई गई, जिसमें आईडिया का नम्बर 9927101744 का सिम लगा है तथा दूसरा मोबाईल फोन आई फोन–16 जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 351829317310511, जिसमे एयरटेल का नम्बर 9557586499 का सिम लगा है। उपरोक्त मोबाईल फोन के व्हाटसप को चैक किया गया तो मोबाईल नम्बर 9927142302 के साथ दिनांक 16.06.2025 की चैट में एक रयलटी (आईएसटीपी) नम्बर 4719202201234 323525 जारी की तिथि 26.03.2025 की उक्त नम्बर पर भेजा जाना पाया गया व अन्य रयलटी भी भेजा जाना पाया गया है। पूछने पर यह मोबाईल नम्बर मोनू खान, क्लर्क पीडब्लूडी जनपद बागपत का होना बताया गया। मोबाईल नम्बर 8941806103 पर दिनांक 26.03.2025 की चैट में एक रयलटी नम्बर 3612202401600903776 जारी का दिनांक 30.04.2024 मौजूद है, जिस पर मौजूद क्यूआर कोड को फोन से चैक करने पर समस्त डेटा समान था केवल तिथि 30.04.2024 के स्थान पर 30.10.2024 अंकित है। इसी प्रकार अन्य रयलटी भी उक्त नम्बर की चैट पर भेजा जाना पाया गया है। पूछने पर यह मोबाईल नम्बर सुमित, क्लर्क पीडब्लूडी जनपद मेरठ का होना बताया गया। मोबाईल नम्बर 7055030762 पर दिनांक 26.03.2025 की चैट पर एक रयलटी नम्बर 2139202000021808832 जारी का दिनांक 21.01.2024 अंकित है, जिस पर प्रिंट क्यूआर कोड को स्कैन करने पर डेटा समान है तिथि के स्थान पर 21.05.2024 पाया गया। इसी प्रकार अन्य रयलटी भी चैट पर भेजा जाना पाया गया है। पूछने पर यह मोबाईल नम्बर विपिन भण्डारी, क्लर्क पीडब्लूडी जनपद मेरठ का होना बताया गया। मोबाईल नम्बर 9997134935 पर दिनांक 08.07.2025 की चैट में एक रयलटी नम्बर 3196202000286183135 जारी का दिनांक 10.03.2024 मौजूद है, जिस पर मौजूद क्यूआर कोड को फोन से चैक करने पर समस्त डेटा समान पाया गया। इसी प्रकार अन्य रयलटी भी उक्त नम्बर की चैट पर भेजा जाना पाया गया है। पूछने पर यह मोबाईल नम्बर भानु क्लर्क पीडब्लूडी जनपद मेरठ का होना बताया गया। मोबाईल नम्बर 9012713517 पर दिनांक 02.06.2025 की चैट में एक रयलटी नम्बर 4719202201234323525 जारी का दिनांक 26.05.2025 मौजूद है, जिस पर मौजूद क्यूआर कोड को फोन से चैक करने पर समस्त डेटा समान पाया गया। इसी प्रकार अन्य रयलटी भी उक्त नम्बर की चैट पर भेजा जाना पाया गया है। पूछने पर यह मोबाईल नम्बर मनदीप तोमर, क्लर्क पीडब्लूडी जनपद बागपत का होना बताया गया जामा

तलाशी से इसके पास से 510 रूपये बरामद हुये। बेंच पर बैठे तीसरे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम फिरोज पुत्र अहमद अली नि० ग्राम–निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत बताया उम्र–34 वर्ष। जामा तलाशी से इसके पास से 800 रूपये तथा एक मोबाईल फोन वीवो वी–30, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 863718065906490, 863718065906482 पाई गई, जिसमें एयरटेल का नम्बर 9761600247 का सिम लगा है बरामद हुआ, जिसके व्हाटसप को चैक किया गया तो नम्बर 9557600601 के साथ मौजूद दिनांक 10.03.2026 की चैट मैं एक रयलटी आईएसटीपी नम्बर 9082202601914 200119, जिसकी जारी होने की तिथि 26.08.2025 अंकित है, जिस पर प्रिंट क्यूआर कोड को अपने फोन के कैमरे से स्कैन कर चैक करने पर जो डेटा प्रदर्शित हुआ उस पर आईएसटीपी नम्बर व अन्य सभी डेटा समान था किन्तु तिथि 26.01.2026 थी व एक और अन्य रयलटी आईएसटीपी नम्बर 90822026 01914200147, जिसकी जारी होने की तिथि 28.08.2025 अंकित है, जिस पर प्रिंट क्यूआर कोर्ड को अपने फोन के कैमरे से स्कैन कर चैक करने पर जो डेटा प्रदर्शित हुआ उस पर आईएसटीपी नम्बर व अन्य सभी डेटा समान था किन्तु तिथि 28.01.2026 थी। जिससे स्पष्ट है कि फोन में मौजूद रयलटी की तिथि में छेडछाड कर कूटरचित रयलटी तैयार की गई है। जिस पर इसके द्वारा तिथि को ऐडिड करते हुये उसमें तिथि 26.08.2025 अंकित कर कूटरचित रयलटी संजय ठेकेदार जनपद मेरठ जिसका मोबाईल नम्बर 9557600601 है के व्हाटसप पर दिनांक 10.03.2026 को उपलब्ध कराई गई है। फिरोज ने पूछताछ पर बताया कि मेरे द्वारा अंकुश जुनेजा, कंस्ट्रेक्शन मेरठ मोबाईल नम्बर 9810787577 7577 को भी कुछ रयलटी भेजी गई है। बेंच पर बैठे चौथे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम आरिफ पुत्र जाहिद नि० मोहल्ला बुढढापीर, सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ उम्र–39 वर्ष बताया। जामा तलाशी से इसके पास से तीन अद्द मोबाईल फोन, जिसमें पहला मोबाईल फोन ओपो रेनो 8 टी, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 862402060126518, 862402060126500, जिसमें एयरटेल कम्पनी का नम्बर 8791254602 का सिम लगा है उक्त मोबाईल नम्बर के व्हाटसप पर मोबाईल नम्बर 9599633907 पर दिनांक 09.05.2025 की चैट में रयलटी (आईएसटीपी) नम्बर 497 2202100986400304 जारी तिथि 02.06.2015 प्रिंट है, जिसका क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो उपरोक्त रयलटी (आईएसटीपी) में सभी सूचनायें समान है केवल तिथि 03.06.2022 अंकित है। इसी प्रकार अन्य रयलटी (आईएसटीपी) चैट में भेजा जाना पाई गई है। यह मोबाईल नम्बर विशाल मकवाना, क्लर्क नगर निगम गाजियाबाद का होना बताया गया । बरामद दूसरा मोबाईल फोन वीवो वी–23, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 866741057058515, 86674 1057058507, जिसमें एयरटेल का नम्बर 9760457873 सिम लगा है तथा तीसरा मोबाईल फोन सैमसंग ग्लैक्सी जैड फोल्ड, जिसकी आईएमईआई चैक करने पर 358762988250109, 359680298250107 पाई गई, जिसमें आईडिया का ननम्बर 9837100105 सिम लगा है। संयुक्त रूप से की गई पूछताछ पर बताया कि हम लोग जाहिद उर्फ लालू प्रधान पुत्र ताहिर अली, मोबाईल नम्बर 9012822344, मुस्तफा पुत्र अफसर, दानिश पुत्र इकबाल, बहादुर पुत्र इकबाल निवासीगण ग्राम–निवाडा, थाना बागपत जनपद बागपत के साथ मिलकर खनन की असली रयलटी अपने सहयोगी राहुल उर्फ राजा मोबाईल नम्बर 7054242357, आशुतोष नि० यमुनानगर हरियाणा मोबाईल नम्बर 8950870087, 8572870087, मिश्रा नि0 कानपुर मोबाईल नम्बर 8629929773 से व्हाटसप पर प्राप्त करते है और उनको पीडब्लूडी विभाग जनपद सम्भल के क्लर्क मनोज मोबाईल नम्बर 7535059914 एवं पीडब्लूडी विभाग जनपद मुजफ्फरनगर के क्लर्क पराग बंसल मोबाईल नम्बर 9897662076 एवं पीडब्लूडी विभाग जनपद सहारनपुर के क्लर्क प्रशांत मोबाईल नम्बर 908461234 एवं पीडब्लूडी विभाग जनपद गौतमबुद्धनगर क्लर्क प्रियांक पाल मोबाईल नम्बर 8057947750, जीडीए विभाग जनपद गाजियाबाद के क्लर्क विशाल

मकवाना मोबाईल नम्बर 9599633907 को उन सही रयलटी में उपरोक्त सम्बन्धित जनपद के क्लर्क के बताये अनुसार फर्जी तरीके से दिनांक आदि परिवर्तन कर भेजते है, जिनकी ऐवज में हम लोग उपरोक्त सम्बन्धित विभाग के क्लर्क से एक क्यूबिक मीटर खनन पर 20 रूपये के हिसाब से पैसा लेते है तथा 15 रूपये एक क्यूबिक मीटर के हिसाब राहुल उर्फ राजा, आशुतोष एवं मिश्रा को देते है। इसके उपरांत नईम उपरोक्त द्वारा बताया गया गया कि मुझसे पराग बंसल, क्लर्क पीडब्लूडी विभाग, जनपद मुजफ्फनगर द्वारा 11.04.2025 की रयलटी की पीडीएफ मांगी थी, जो मैंने राहुल उर्फ राजा से मांगी थी। उसके बाद राहुल उर्फ राजा ने मुझे दिनांक 08.06.2026 को आईएसटीपी नम्बर 6420202301 367401454 दिनांक 11.04.2026 की रयलटी भेजी थी, जिसमें मेरे द्वारा अपने लेपटॉप पर तिथि 11.04.2025 चेंज कर कूटरचित रयलटी तैयार कर उपरोक्त क्लर्क पराग बंसल को उसी दिन भेजी गई थी। इसी प्रकार पीडब्लूडी विभाग जनपद संभल के क्लर्क मनोज द्वारा मुझसे दिनांक 02.03.2026 की रयलटी मांगी थी, जो मैंने राहुल उर्फ राजा से मांगी थी। राजा ने मुझे आईएसटीपी नम्बर 44442 02401600105309 दिनांक 02.03.2024 भेजी थी। उसमें मेरे द्वारा क्लर्क के अनुसार तिथि 02.03.2026 अपने लेपटॉप पर परिवर्तित कर कूटरचित रयलटी तैयार कर उपरोक्त क्लर्क मनोज को उसके व्हाटसप पर भेजी गई थी। जो मेरे लेपटॉप व मोबाईल फोन (गूगल पिक्सल) में मौजूद है। इसी प्रकार अन्य असली व फर्जी रॉयलटी भी मेरे लेपटॉप व मोबाईल फोन में मौजूद है, जिन्हें में क्लर्क की आवश्यतानुसार उसमें तिथि परिवर्तित कर उपलब्ध कराता हूँ। इसके उपरान्त उपरोक्त दोनों आईएसटीपी नम्बर की असली व कूटरचित रॉयलटी का प्रिंट निकलवाया गया, जिस पर मेरे व नईम द्वारा हस्ताक्षर किये गये है, जिनको संलग्न फर्द किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति फिरोज, आरिफ के मोबाईल फोनों में भी इसी प्रकार की असली व व कूटरचित कूटरचित रॉयलटी मौजूद है तथा पूछताछ पर आरिफ द्वारा बताया गया कि मैंने अपने मोबाईल फोन से असली व फर्जी रॉयलटी डीलिट कर दी है। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक अपराधिक षडयंत्र के तहत साजिश रचकर खनन विभाग की असली रॉयलटी (आईएसटीपी) को कूटरचित तरीके से तैयार कर पीडब्लूडी विभाग के विभिन्न जनपदों के क्लर्को को उपलब्ध कराया गया तथा उससे राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुँचाई गई है। उपरोक्त अभियुक्तगण नईम, तालिब, फिरोज, आरिफ, जाहिद उर्फ लालू प्रधान, मुस्तफा, दानिश, बहादुर, आशुतोष, मिश्रा, मनोज, पराग बंसल, प्रशांत, प्रियांक पाल, विशाल मकवाना, मोनू खान, सुमित, विपिन भंडारी, भानु, मंदीप तोमर, का यह कृत्य जुर्म धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस की हद को पहुँचता है। अतः मौके पर मौजूद मिले अभियुक्तगण 1–नईम पुत्र इंतजार अली नि० ग्राम–निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत, 2–तालिव पुत्र फारूख नि० निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत, 3–फिरोज पुत्र अहमद अली नि० ग्राम–निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत, 4–आरिफ पुत्र जाहिद नि० मोहल्ला बुढढापीर, सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफतारी के आधार से सम्बन्धित प्रपत्र को दो प्रतियों में तैयार कर उसकी एक –एक प्रति अभियुक्तगण को दी गई तथा दूसरी प्रति पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये गये। तत्पश्चात उक्त अभियुक्तगण को समय 11.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उसके पश्चात मौके पर गिरफतारी मीमो तैयार किया गया। गिरफतारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया। अभियुक्तगण की गिरफतारी की सूचना थाने जाकर उनके परिजनों को द्वारा उचित माध्यम दी जायेगी। अभियुक्तगण से बरामद उपरोक्त मोबाईल फोन अभियुक्तवार अलग–अलग सफेद कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त नईम से बरामद लेपटॉप एचपी, व सीरियल नम्बर 5CD32121RB जिसका पासवर्ड 11111 नईम द्वारा बताया गया है, को मय चार्जर के सफेद कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्तगण से प्राप्त पैसों को बरामदगीनुसार उसी समय उनको वापस किये

गये। उपरोक्त बरामद मोबाईल फोनों व लैपटॉप को डाटा रिकवर हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जायेगा। उपरोक्त अभियुक्तों से बरामदगी सम्बन्धी वीडियोग्राफी की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 105 बीएनएसएस उपनिरीक्षक सत्यम जंघाला से ई–साक्ष्य ऐप पर कराई गई, जिसका प्रमाण–पत्र अन्तर्गत धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम जनरेट किया गया। इण्डियन नर्सिंग होम के बाहर खडी गाडी नम्बर यूपी–14 एफके–4978 के बारे में गिरफतार अभियुक्तगण से पूछा गया तो अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने बताया कि साहब यह गाडी मेरे परिचित नईम नि० मसूरी की है, जिसके कागजात तलब किये गये तो दिखाने में कासिर रहा। गाडी को थाने ले जाकर अलग से मोटर वाहन अधि० के तहत कार्यवाही की जायेगी। फर्द मौके पर ही मुझ निरीक्षक द्वारा उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार, एस०टी०एफ० फील्ड यूनिट मेरठ से बोल–बोल कर लेपटॉप पर टाईप कराई गई तथा प्रिंट निकलवाया गया। फर्द का मजबून हमराह फोर्स को पढकर सुनाकर बाबत गवाही गवाहान हस्ताक्षर बनवाये जाते है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा थाने से प्राप्त आख्या व समस्त पत्रावली/केसडायरी का परिशीलन किया।

घटना दिनांक 16.06.2026 के सम्बन्ध में वादी निरीक्षक रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 16.06.2026 को ही सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्तानुसार पंजीकृत करायी गयी है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ नामित है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि दिनांक 16.06.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी मुकदमा निरीक्षक रविन्द्र कुमार द्वारा अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ मिलकर चार अभियुक्तगण नईम, तालिब, फिरोज व आरिफ को गिरफतार किया गया तथा उनके कब्जे से बरामद मोबाइलों व लैपटाप में रायल्टी से सम्बन्धित डाटा बरामद हुआ, जिनको उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को भेजा गया था। उक्त गिरफतार अभियुक्तगण के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य का नाम प्रकाश में आया है तथा उनके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित किये जाने का भी कथन गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक अपराधिक षडयंत्र के तहत साजिश रचकर खनन विभाग की असली रॉयलटी (आईएसटीपी) को कूटरचित तरीके से तैयार कर पीडब्लूडी विभाग के विभिन्न जनपदों के क्लर्को को उपलब्ध कराया गया तथा उससे राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुँचाई गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण एक संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए खनन विभाग की वास्तविक आई.एस.टी.पीत्र (रॉयल्टी) में कूटरचना कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करते थे तथा उन्हें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को उपलब्ध कराकर राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने का कार्य करते थे। उपरोक्त गिरफतार अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद अनेक मोबाइल फोन एवं लैपटॉप, जिनमें वाहटसएप चैट, डिजिटल दस्तावेज, कूटरचित रॉयल्टी तथा अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनकी फारेंसिक जॉच अभी शेष है। बरामद वहाटसअप चैक, क्यू आर कोड सत्यापन तथा डिजिटल रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि वास्तविक रॉयल्टी में तिथि एवं अन्य विवरण बदलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये। सह–अभियुक्तगण, लाभार्थियों तथा विभागीय कर्मचारियों की भूमिका की जॉच शेष है। अभियुक्तगण मुक्त होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अपराध सुनियोजित, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से तथा निरन्तर तरीके से किये जाने का आरोप है।

उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र के तहत

साजिश रचकर खनन विभाग की असली रॉयलटी (आईएसटीपी) को कूटरचित तरीके से तैयार कर पीडब्लूडी विभाग के विभिन्न जनपदों के क्लर्को को उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त क्लर्को द्वारा उसका दुरूपयोग कर उससे राज्य सरकार को राजस्व को भारी क्षति कारित करने का अभियोग है। अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.06.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी मुकदमा निरीक्षक रविन्द्र कुमार द्वारा अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ मिलकर चार अभियुक्तगण नईम, तालिब, फिरोज व आरिफ को गिरफतार किया गया तथा उनके कब्जे से बरामद मोबाइलों व लैपटाप में रायल्टी से सम्बन्धित डाटा बरामद हुआ, जिनको उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को भेजा गया था। उक्त गिरफतार अभियुक्तगण के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य का नाम प्रकाश में आया है तथा उनके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित किये जाने का कथन गया है। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान में सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित करने की संस्वीकृति की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी के समय उसके कब्जे से कोई मोबाइल, कूटरचित रॉयल्टी आदि बरामद होने का कथन नहीं किया गया है और न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य /प्रपत्र इस स्तर पर केसडायरी पर विवेचक द्वारा संकलित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। मौके से गिरफतार सह–अभियुक्तगण नईम, तालिब, फिरोज व आरिफ, जिनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, तथाकथित कूटरचित रॉयल्टी आदि बरामद होना बताया गया है, की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त <u>जाहिद उर्फ लालू प्रधान</u> की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को <u>मु० पचास हजार रूपये</u> का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
4. विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांकः–20.08.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।
J.O.Code–U.P.1909